

प्रेस नोट

थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज के मु0अ0सं0 236/13 धारा 147/148/149/302/120B IPC के इनामी

(25 हजार रुपये) का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मै थानाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 शिशिर गुप्ता , का0 अमर नाथ सिंह, का0 नईमुद्दीन खाँ, का0 हर्ष कुमार, का0 संतोष कुमार , का0 बृजमोहन मय जीप सरकारी UP70AG1806 चालक का0 रामतेज यादव थाना होलागढ़ द्वारा जरिये सूचना मुखबिर खास परमै SO मय हमराह फोर्स के श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक/खण्डाधिकारी अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग खण्ड वाराणसी के आदेश सं0 सीबी-154/2018 दिनांक जुलाई 10,2019 मु0अ0सं0 236/13 धारा 147/148/149/302/120B IPC के पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रखर शुक्ला पुत्र भरत कुमार शुक्ला नौदिया (टोढी का पुरवा) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ की गिरफ्तारी हेतु खाना होकर गश्त मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 236/13 धारा 147/148/149/302/120B IPC के 25,000 रु0 पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रखर शुक्ला पुत्र भरत कुमार शुक्ला नौदिया (टोढी का पुरवा) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ टोढी का पुरवा नहर के पास खडा है, मुखबिर की बात को मानकर मय मुखबिर व फोर्स के खाना होकर टोढी का पुरवा नहर के पास पहुँचा। मुखबिर ने इसारा करके बताया और आगे बढ़ लिया, जिस पर मै थानाध्यक्ष मय फोर्स के नहर पर खडे व्यक्ति की ओर बढ़े तो हम पुलिस जन को देखकर अभि0 उपरोक्त भागने का प्रयास किया, जिसे दौड़ कर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूँछा गया तो उसने अपना नाम प्रखर शुक्ला पुत्र भरत कुमार शुक्ला नौदिया (टोढी का पुरवा) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ बताया, अभियुक्त से बताया गया कि मु0अ0सं0 236/13 धारा 147/148/149/302/120B IPC मे वांछित अभियुक्त हो। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 09.08.2019 को समय करीब बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया।

अभि0 का नाम – प्रखर शुक्ला पुत्र भरत कुमार शुक्ला नौदिया (टोढी का पुरवा) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी टीम का नाम-

SO वीरेन्द्र प्रताप सिंह
उ0नि0 शिशिर गुप्ता
का0 अमर नाथ सिंह,
का0 नईमुद्दीन खाँ,
का0 हर्ष कुमार,
का0 संतोष कुमार ,
का0 बृजमोहन।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 236/13 धारा 147/148/149/302/120B IPC थाना होलागढ़ प्रयागराज।



प्रेस नोट थाना उतरांव जनपद प्रयागराज

गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्तगण व बरामदगी एक अदद घटना में प्रयुक्त लोहे की राड संबंधित
मु0अ0सं0 221/19 धारा 302/307/120बी/34 भा.द.स.

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/19 धारा 302/307/120बी/34 भा0दं0सं0 से सम्बंधित नामजद अभियुक्तगण की आज दिनांक 09.08.2019 को तलाश व दबिश के दौरान मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्ता श्रीमती विद्यावती पत्नी कृष्ण कुमार उर्फ मुकेश निवासी ग्राम चितावनपुर थाना उतरांव प्रयागराज को उसके ससुराल ग्राम मिरईपुर थाना उतरांव जनपद प्रयागराज व मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण (1) संजय उर्फ करिया पुत्र राम अभिलाख व (2) रणविजय सिंह पटेल पुत्र स्व0 रामसूचित सिंह उर्फ नान्हू निवासीगण ग्राम गोतवा थाना सरायइनायत जनपद प्रयागराज को मोहनगंज बाजार चौराहा से गिरफ्तार कर अभियुक्त रणविजय सिंह पटेल की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल (लोहे की राड) ग्राम चितावनपुर से बरामद की गयी है। अभियुक्त करिया उर्फ संजय द्वारा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को दूसरे अभियुक्त भोला सिंह को देना प्रकट किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता—

1. संजय उर्फ करिया पुत्र राम अभिलाख निवासी गोतवा थाना सरायइनायत प्रयागराज
2. रणविजय सिंह पटेल पुत्र स्व0 रामसूचित सिंह उर्फ नान्हू निवासी गोतवा थाना सरायइनायत प्रयागराज
3. विद्यावती पत्नी कृष्ण कुमार उर्फ मुकेश निवासी चितावनपुर थाना उतरांव जनपद प्रयागराज

बरामदगी का विवरण—

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की राड।

गिरफ्तारी टीम-

थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह
हे0का0 कमल सिंह
हे0का0 सुशील सिंह
हे0का0 यशवंत सिंह
का0 सुशील राय
म0का0 विनीता पटेल





प्रेस नोट

अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद थाना धूपुर जनपद प्रयागराज

दिनांक 09.08.2019 को श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनापार/ श्रीमान् क्षेत्राधिकारी करछना के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में थानाध्यक्ष धूपुर/ स्वाट टीम प्रभारी मय हमराह पुलिस बल व उ0नि0 श्री दीनानाथ यादव प्रभारी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ क्राइम ब्रांच के साथ तलाश वांछित वारन्टी चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में इरादतगंज चौराहे पर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में बात कर रहे थे। कि जारिये मुखबिर सूचना मिली कि सुजावन देवा मन्दिर तिराहा से 100 मीटर पहले खाई में अवैध रूप से शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष धूपुर मय हमराही पुलिस बल व प्रभारी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ मय टीम साथ मौके पर पहुंचे हल्के हल्के कदमों से अपनी मौजूदगी छिपाते हुये झाड़ी का आड़ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे तो देखे कि पहाड़ी के अन्दर प्लास्टिक का त्रिपाल डाल कर कुछ व्यक्ति बैठे हैं व वहां पर आग / भट्टी जल रही थी तथा लोहा पीटने की आवाज आ रही थी। जब पुलिस टीम को इस बात का विश्वास हो गया कि उक्त स्थान पर अवैध कार्य संचालित हो रहा है कि पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से चारो तरफ से घेरा बन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 21.30 बजे मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम 1- चन्द्रबली पासी पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र पासी निवासी खाई थाना करछना जनपद प्रयागराज 2- संतलाल विश्वकर्मा पुत्र बोड़ई राम निवासी पुरी थाना करछना जनपद प्रयागराज बताया। मौके से पर्याप्त मात्रा में अवैध असलहें व शस्त्र बनाने का सामान बरामद हुआ। इसके सम्बन्ध में थाना धूपुर में मु0अ0सं0 437/19 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1. चन्द्रबली पासी पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र पासी निवासी खाई थाना करछना जनपद प्रयागराज।
2. संतलाल विश्वकर्मा पुत्र बोड़ई राम निवासी पुरी थाना करछना जनपद प्रयागराज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चन्द्रबली पासी:-

1. मु0अ0सं0- 332/14 धारा 110 G CRPC थाना करछना जनपद प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0- 250/14 धारा 341,323,504,506 भादवि थाना करछना जनपद प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0 - 249/11 धारा 452,294,323,504,506,427 भादवि थाना करछना जनपद प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0 - 283/13 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना करछना जनपद प्रयागराज।
5. मु0अ0सं0 - 100/15 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना करछना जनपद प्रयागराज।
6. मु0अ0सं0 - 274/1 धारा 363,366,147,148,149,452,323,427 भादवि थाना करछना जनपद प्रयागराज।
7. मु0अ0सं0 - 437/1 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना धूपुर जनपद प्रयागराज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संतलाल विश्वकर्मा:-

1. मु0अ0सं0 400/17 धारा 376,395,354,452,323,504,506,427,3(1)10 SC/ST ACT थाना करछना जनपद प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 - 437/ 9 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना धूपुर जनपद प्रयागराज।

बरामदगी विवरण:-

1. अवैध पिस्टल देशी 32 बोर -04 अदद
2. अवैधदेशी तमन्चा 15 बोर -08 अदद
3. अवैधदेशी तमन्चा 12 बोर -02 अदद
4. लोहे की छेनी -4 अदद
5. लोहे की सुम्मी -5 अदद
6. रेली -6 अदद
7. हथौड़ी छोटा व बड़ा - 4 अदद
8. पेचकस -2 अदद
9. लोहा काटने वाली आरी -1 अदद व ब्लेड -5 अदद
10. लोहे का पाइप -4 अदद व नाल बनाने वाला पाइप -3 अदद
11. ट्रेपर गार्ड व पत्ती -3 अदद
12. लोहे की निहाई -1 अदद व लोहे की कील -24 अदद
13. भट्टी के पास लकड़ी के अध जले कोयला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री वृन्दावन राय थानाध्यक्ष धूपुर/ प्रभारी स्वाट टीम, उ0उ0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह, हे0का0 राजकुमार राय, हे0का0 धनन्जय राय थाना धूपुर जनपद प्रयागराज।
2. उ0नि0 श्री दीनानाथ यादव, उ0नि0 श्री दिवाकर सिंह, का0 बृजेन्द्र नाथ राय, का0 राजीव तिवारी, का0 रामनिवास यादव (व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ क्राइम ब्रांच)
3. उ0नि0 श्री राकेश राय, का0 अमित कुमार राय स्वाट टीम प्रयागराज

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक)

जनपद-प्रयागराज

